भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3393

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों की कमी

3393. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुष चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकों और पराचिकित्सा कर्मचारियों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कमियों की पहचान करने और भर्ती करने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों/प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपचार के तौर-तरीकों, योग और निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में भारी कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या डिजिटल और रेफरल प्रणाली की कमियों के कारण अभी भी रोगी रेफरल ट्रैकिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और अनुवर्ती तंत्र की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष चिकित्सा पद्धति में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों/पैरामेडिकल कर्मचारियों का आकलन और उनकी भर्ती संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है । देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के कुल पंजीकृत चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जानकारी **संलग्नक** पर दी गई है । आयुष मंत्रालय ने देशभर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) और 05 अनुसंधान परिषदों सहित 12 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण शामिल हैं । आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी तक पहुंच में सुधार करके प्रभावी और न्यायोचित आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन और योग प्रमाणन बोर्ड की पहलों सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियानों के माध्यम से योग को और बढ़ावा दिया जाता है । आयुष चिकित्सा शिक्षा को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के विनियामकीय ढांचे के माध्यम से भी मजबूत किया गया है, जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संकाय, अस्पतालों, अवसंरचना और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं से संबंधित न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है।

(घ) और (ङ) आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में लागू किए जाने के लिए आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एएचएमआईएस) विकसित की है। एएचएमआईएस, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप है और रोगी पंजीकरण, मानकीकृत निदान, नैदानिक सेवा प्रदायगी और व्यापक स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। यह पद्धति प्रभावी निगरानी, रिपोर्टिंग और रेफरल कार्यक्षमता का भी समर्थन करती है।

संलग्नक

राज्यवार पंजीकृत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी चिकित्सकों (डॉक्टरों) की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	सोवा-_रिग्पा	होम्योपैथी	पंजीकृत चिकित्सकों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2460	794	0	0	4229	7483
2.	अरुणाचल प्रदेश	142	2	0	7	623	774
3.	असम	1780	0	0	0	2095	3875
4.	बिहार	2070	2969	0	0	36718	41757
5.	छत्तीसगढ़	5531	106	0	0	2343	7980
6.	दिल्ली	5791	3163	0	0	6408	15362
7.	गोवा	879	1	0	0	1046	1925
8.	गुजरात	29957	253	0	0	39978	70188
9.	हरियाणा	11920	74	0	0	1790	13784
10.	हिमाचल प्रदेश	6881	5	0	0	725	7611
11.	जम्मू	2393	2602	0	78	491	5564
12.	झारखंड	332	96	0	0	1159	1587
13.	कर्नाटक	45458	2122	15	0	16202	63797
14.	केरल	11086	220	356	0	16333	27995
15.	मध्य प्रदेश	18094	2492	0	0	24681	45267
16.	महाराष्ट्र	111880	9676	1	0	91781	213338
17.	मेघालय	162	0	0	0	482	644
18.	नागालैंड	0	0	0	0	188	188
19.	मिजोरम	28	0	0	0	0	28
20.	ओडिशा	5102	66	0	0	10511	15679
21.	पंजाब	13529	53	0	0	4386	17968
22.	राजस्थान	13021	1380	0	0	10093	24494
23.	तमिलनाडु	3112	763	8014	0	9705	21594
24.	तेलंगाना	4690	2792	0	0	6025	13507
25.	त्रिपुरा	122	0	0	0	809	931
26.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0	0	0	0	202	202
27.	उत्तर प्रदेश	46086	17995	0	0	41944	106025
28.	उत्तराखंड	5146	219	0	10	1021	6396
29.	पश्चिम बंगाल	2522	400	0	0	32617	35539
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	11	11
31.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	3	3
32.	मणिपुर	0	0	0	0	101	101
33.	मिजोरम	0	0	0	0	11	11
34.	पुदुचेरी	0	0	0	0	13	13
35.	सिक्किम	0	0	0	0	4	4
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
37.	लेह लद्दाख	0	0	0	0	1	1
	कुल	**350174**	**48242**	**8386**	**95**	**364729**	**771626**

स्रोत: एनसीआईएसएम और एनसीएच